छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नवा रायपुर अटल नगर।

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 JUL 2022

क्रमांक एफ 17–31/2022/55 : : राज्य शासन, एतद्द्वारा, **श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा रायपुर को शहरी स्वास्थ्य केन्द्र–लाभांडी, रायपुर एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–दोंदे कला, चंद्रखुरी, खिलोरा रायपुर स्वास्थ्य केन्द्रों का शैक्षाणिक नियंत्रण** निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:–

1. यह अनुमति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए दी जावेगी, जिसे अधिकतम तीन वर्षो तक नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
2. संस्था को तीन वर्ष के भीतर स्वयं का ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना होगा।
3. शैक्षणिक कार्यक्रम का सम्पूर्ण व्यय संस्था को करना होगा।
4. संस्था के चिकित्सक एवं छात्र चिकित्सकीय आपदा में हमेशा योगदान देंगे।
5. संस्था को पांच लाख की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र के जीवन दीप समिति के खाते में जमा करेंगे।
6. संस्था को प्रति शैक्षणिक सत्र अवधि तक प्रशिक्षण हेतु अनुमति शुल्क रूपये 500 रूपये (पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिछात्र एकमुश्त राशि संबंधित रोगी कल्याण समिति/जीवनदीप समिति के खाते में अग्रिम जमा करनी होगी।
7. छात्र एवं छात्राओं का प्रशिक्षण संबंधित संस्था के चिकित्सकों द्वारा ही दिया जाएगा।
8. संस्था के वर्तमान भवन के अलावा संस्था को अन्य कोई कमरा अलग से निर्माण कर नहीं दिया जावेंगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 17–31/2022/55, **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक** 15 JUL 2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर, की ओर उनके पत्र क्रमांक 2994–A/प्रोजेक्ट/संचिशि/2022, दिनांक 09.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. अधिष्ठाता, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोवा, रायपुर छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. आदेश फोल्डर हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

DNS/Nursing_Order